12/3/16 पत्रावली आज लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात है। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पडोसी है। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नही होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते है। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अन्त मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संम्वत 2071 से 2074 ग्राम भरकाला परवार क्षेत्र झन्डोरी डेवरी तहसील मझुदा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 617 रकबा 01-01-00 भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थर गढ़ी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पर प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

P.T.O

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम भकाला पटवार क्षेत्र अन्धेरीदेवरी तहसील मसूदा के अनुसार आराजी खसरा नं. 617 रकबा 01-01-00 बीघा भूमि के पड़ौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी से नियमानुसार 100/- रुपये पत्थरगढ़ी शुल्क वसूल किये जाकर राजकोष मे जमा करवाया जावे। तहसीलदार मसूदा को दो प्रतियो मे अक्स जारी करे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करे आदेश आज दिनांक 12/3/16 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट कार्यालय पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.25 12:54:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: